The Rajasthan Societies Registration Act, 1958
राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

विषय सूची

धारा	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	Short title, extent and commencement	7
	संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ	7
1A.	Interpretation	8
	निर्वचन	8
1B.	Societies formed by memorandum of association and registration	8
	संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना	8
2.	Contents of memorandum of association	9
	संगम के ज्ञापन की अन्तर्वस्तु	9
3.	Registration and fees	9
	रजिस्ट्रीकरण और फीस	9
4.	Annual list to be filed	10
	वार्षिक सूची का फाइल किया जाना	10
4A.	Changes in governing body and rules to be filed	10
	शासी-निकाय और नियमों में हुए परिवर्तनों का फाइल किया जाना	11
4B.	Penalty of non-compliance of section 4 or section 4-A or for making a false entry	11
	धारा 4 या 4-क के अनुपालन अथवा मिथ्या प्रविष्टि के लिए शास्ति	11
4C.	Cognizance of offences under section 4-B	11
	धारा 4-ख के अधीन अपराधों का संज्ञान	12
5.	Property of society in whom vested	12
	सोसाइटी की सम्पत्ति किसमें निहित होगी	12
5A.	Appointment of new trustees	13
	नये न्यासियों की नियुक्ति	13
6.	Suits by and against societies	14
	सोसाइटियों द्वारा तथा उनके खिलाफ वाद	14

धारा	विवरण	पृष्ठ संख्या
7.	Suits not to abate	14
	वादों का उपशमन न होगा	14
8.	Enforcement of judgment against society	14
	सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन	14
9.	Recovery of penalty accruing under bye-law	15
	उप-विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूली	15
10.	Members liable to be sued as strangers	15
	सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वधीन होना	16
11.	Members guilty of offences punishable as strangers	16
	अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना	16
12.	Societies enable to alter, extend, or abridge purposes or to amalgamate	16
	सोसाइटियों के प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने अथवा समामेलित करने के लिए समर्थ बनाना	17
12A.	Change of name of societies	17
	सोसाइटियों का नाम परिवर्तन	18
12B.	Notice of change of name	18
	नाम परिवर्तन की सूचना	18
12C.	Effect of change of name	18
	नाम परिवर्तन का प्रभाव	19
13.	Provision for dissolution of societies and adjustment of their affairs	19
	सोसाइटियों के विघटन और उनके काम-काज के समायोजन के लिए उपबन्ध	20
14.	Upon dissolution no member to receive surplus property	21
	विघटन पर किसी सदस्य का अधिशेष सम्पत्ति प्राप्त न करना	21
14A.	Surplus property may be given to Government	21
	अधिशेष सम्पत्ति सरकार को दी जा सकेगी	21
15.	Member of society defined	22
	सोसाइटी के सदस्य की परिभाषा	22

धारा	विवरण	पृष्ठ संख्या
16.	Governing body defined	22
	शासी निकाय की परिभाषा	22
17.	Registration of societies formed before Act and not registered	22
	अधिनियम के पूर्व बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत नहीं हुई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण	23
18.	Power of Registrar to refuse registration in certain cases	23
	कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति	23
18A.	Power of Registrar to refuse or to cancel the registration of certain Societies	24
	कतिपय सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने या रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति	25
19.	Inspection of documents and certified copies thereof	25
	दस्तावेजों का निरीक्षण तथा उनकी प्रमाणित प्रतियां	25
20.	Societies that may be registered under the Act	25
	सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा	26
21.	Repeal and savings	26
	निरसन एवं व्यावृत्ति	27

[1]THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

(Act No. 28 of 1958)

Received the assent of the Governor on the 23rd day of June, 1958.

[2]राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम सं. 28)

राज्यपाल की अनुमति तारीख 23 जून, 1958 को प्राप्त हुई।

An Act to provide for the registration of literacy, scientific, charitable and certain other societies in the State of Rajasthan.

Whereas it is expedient to consolidate and amend the law for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science or the fine arts or for the diffusion of useful knowledge or for the diffusion of political education or for the charitable purposes.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Ninth Year of the Republic of India as follows :–

राजस्थान राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त तथा कतिपय अन्य सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

अत: यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की पदोन्नति के लिए या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए या राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए अथवा पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक परिस्थिति सुधारने के लिए विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाये।

भारत गणराज्य के नवें वर्ष मे राजस्थान राज्य विधान-मण्डल यह अधिनियम बनाता है :–

1. Short title, extent and commencement :— (1) This Act may be called the Rajasthan Societies Registration Act, 1958.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date[3] as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ :– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 है।

---

1. Published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV (Ka), dated 7.7.1958.
2. राजस्थान राजपत्र असाधारण खण्ड 4(क) दिनांक 7.7.1958 को सर्व प्रथम प्रकाशित प्राधिकृत हिन्दी पाठ 2 अगस्त 1979 को प्रकाशित खण्ड 4(क) पृष्ठ संख्या 177 से 182।
3. Enforced on 1.4.1959, Vide Noti. No. F. 11(12), Ind. (A)/56, dt. 27.2.1959, Published in the Raj. Gazette Part IV C dt. 12.3.1959.

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र[1] में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

1-A. Interpretation :— (1) In this Act, unless the subject or context otherwise requires,—

(i) 'Registrar' means the Registrar of Co-operative Societies for the State:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint any other person or officer, by name or by virtue of his office, to be the Registrar for the purposes of this Act, and in such case the person or officer so appointed shall be the Registrar for such purposes; and

(ii) 'State' or 'State of Rajasthan' means the State of Rajasthan as formed by section 10 of the States Reorganisation Act, 1956 (Central Act 37 of 1956).

(2) The provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act 8 of 1955) shall, as far as may be, apply *mutatis mutandis* to this Act.

1-क. **निर्वचन :–** (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(i) 'रजिस्ट्रार' से राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है :

परन्तु राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को, नाम द्वारा या उसके पद के आधार पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, और ऐसी दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा, और

(ii) 'राज्य' या राजस्थान राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा यथा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबन्ध यथाशक्य यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम पर लागू होंगे।

1-B. **Societies formed by memorandum of association and registration :—** Any seven or more persons associated for any literary, scientific or charitable purpose or for any such purpose as is described in section 20 may, by subscribing their names to a memorandum of association and filing the same with the Registrar, form themselves into a society under this Act.

1-ख. **संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना :–** किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित

1 [illegible]

है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

2. Contents of memorandum of association :— (1) The memorandum of association shall contain the following things, that is to say –

(a) the name of the society;

(b) the objects of the society;

(c) the names, addresses and occupations of the governors, directors, trustees or members (by whatever name they are designated) of the council, committee or other governing body to which, by the rules and regulations of the society, the management of its affairs is entrusted.

(2) A copy of the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the governors, directors, trustees or members of the governing body, shall be filed with the memorandum of association.

2. संगम के ज्ञापन की अन्तर्वस्तु :– (1) संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात् –

(क) सोसाइटी का नाम;

(ख) सोसाइटी के उद्देश्य;

(ग) परिषद्, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रबन्ध सौंपा गया है, व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, पते और उपजीविकाएं।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जायेगी।

3. Registration and fees :— (1) Upon such memorandum and certified copy being filed, the Registrar shall certify under his hand that the society is registered under this Act.

[1][(2) There shall be paid to the Registrar for every such registration, such fee as the State Government may, from time to time, direct, and all fees so paid shall be accounted for to the State Government.]

3. रजिस्ट्रीकरण और फीस :– (1) ऐसे ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है।

---

1. Substituted by Raj., Act No. 28 of 1992 w.e.f. 11.11.1992.

[1][(2) ऐसे प्रत्येक पंजीकरण हेतु पंजीयक को इतना शुल्क, जितना कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्देशित करेगी, भुगतान किया जायेगा तथा इस प्रकार भुगतान किये गये समस्त शुल्कों को राज्य सरकार के लेखाओं में सम्मिलित किया जायेगा।]

रजिस्ट्रेशन फीस सम्बन्धी अधिसूचनाएँ पृष्ठ 28 पर देखें।

4. Annual list to be filed:— Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which, according to the rules and regulations of the society, the annual general meeting of the society is held, or, if the rules and regulations do not provide for an annual general meeting, in the month of January, a list shall be filed with the Registrar of the names, addresses and occupations of the governors, directors, trustees or members of the council, committee or other governing body then entrusted with the management of the affairs of the society.

4. वार्षिक सूची का फाइल किया जाना :– हर वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है, उत्तरवर्ती चौदहवें दिन को या उससे पूर्व या यदि नियमों तथा विनियमों में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपबन्ध नहीं है तो जनवरी के मास में रजिस्ट्रार के पास एक सूची दाखिल की जायेगी जिसमें परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों के, जिनको सोसाइटी के काम-काज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपजीविकाएं होंगी।

4-A. Changes in governing body and rules to be filed:— (1) Together with the list mentioned in section 4 there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes during the year to which the list relates in the personnel of the governors, directors, trustees or members of the council, committee or other governing body to which the management of the affairs of the society is entrusted and also a copy of the rules and regulations of the society corrected up to date and certified to be a correct copy by not less than three of the governors, directors, trustees or members of the governing body.

(2) A copy of every alteration made in the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy in the manner aforesaid, shall be sent to the Registrar within fifteen days of the making of such alteration.

---

1. राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4(क) दिनांक 11.11.1992, पृष्ठ 155(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

4-क. शासी-निकाय और नियमों में हुए परिवर्तनों का फाइल किया जाना:- (1) धारा 4 में वर्णित सूची के साथ, रजिस्ट्रार को एक विवरण, जिसमें उस परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय, जिसे सोसाइटी के काम-काज का प्रबन्ध सौंपा हुआ हो, के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में उस वर्ष जिससे सूची सम्बन्धित है, के दौरान किये गये समस्त परिवर्तन दर्शित किये जायें, तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति भी जो अद्यतन शुद्ध कृत हो और शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, भेजी जायेगी।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति, जो पूर्वोक्त रीति से सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, ऐसे प्रमाणित करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

4-B. Penalty of non-compliance of section 4 or section 4-A or for making a false entry:— (1) If the chairman, secretary or any other person authorised in this behalf by the rules and regulations of the society or by a resolution of the governing body of the society fails to comply with the provisions of section 4 or section 4-A, he shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and, in case of a continuing breach, with a further fine not exceeding fifty rupees for each day during which the defaults is continued after the first conviction for such offence.

(2) If any person wilfully makes or causes to be made any false entry in, or any omission from, the list filed under section 4 or any statement or copy of rules and regulations or of alterations therein sent to the Registrar under section 4-A, he shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

4-ख. धारा 4 या 4-क के अनुपालन अथवा मिथ्या प्रविष्टि के लिए शास्ति:- (1) यदि अध्यक्ष, सचिव या सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अथवा सोसाइटी की शासी निकाय के किसी संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, धारा 4 या धारा 4-क के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह, दोष सिद्धि पर जुर्माने से पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् भंग के चालू रहने की दशा में प्रत्येक दिन जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, के लिए पचास रुपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन फाइल की गई सूची में या धारा 4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये किसी विवरण में या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रति में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या कराता है तो वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

4-C. Cognizance of offences under section 4-B:— No Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence

under section 4-B nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made in writing by the Registrar or any person authorised by him in this behalf.

4-ग. धारा 4-ख के अधीन अपराधों का संज्ञान :– प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय धारा 4-ख के अधीन किसी अपराध पर विचारण नहीं करेगा और न ऐसे किसी अपराध का संज्ञान, रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में किये गये परिवाद के बिना किया जायेगा।

5. Property of society in whom vested:— (1) The property, movable and immovable, belonging to or held or acquired by a society registered under this Act, if not vested in trustees in trust for such society, shall be deemed to be so vested for the time being in the governing body of such society, and in all proceedings, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such society.

(2) Where any such property is vested or is to become vested in trustees in trust for any society registered under this Act and any new trustees have been appointed under and in accordance with section 5-A, the property shall, notwithstanding anything contained in any instrument or in the rules and regulations of the society, become vested without any conveyance or other assurance, in such new trustees and the continuing old trustees jointly or if, there are no old continuing trustees, in such new trustees wholly upon the same trusts, and with and subject to the same powers and provisions, as it was vested in the old trustees.

5. सोसाइटी की सम्पत्ति किसमें निहित होगी :– (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित स्थावर और जंगम सम्पत्ति, यदि सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित नहीं है तो ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय में तत्समय इस प्रकार निहित समझी जायेगी और सभी सिविल आपराधिक कार्यवाहियों में ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय की सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जा सकेगी।

(2) जहां कोई ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित है या निहित होने वाली है और कोई नये न्यासी धारा 5-क के अधीन और अनुसार नियुक्त किये गये हैं तो किसी लिखित में अथवा सोसाइटी के नियमों और विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उक्त सम्पत्ति बिना किसी हस्तान्तरण या अन्य आश्वासन के बाद ऐसे नये न्यासियों तथा बने रहे पुराने न्यासियों में संयुक्त रूप में निहित हो जायेगी, या यदि कोई बने रहे पुराने न्यासी हैं तो उसी न्यास पर ऐसें नये न्यासियों में, उन्हीं शक्तियों और उपबन्धों सहित तथा उनके अध्यधीन पूर्णत: उसी प्रकार निहित हो जायेगी जिस प्रकार कि वह पुराने न्यासियों में निहित थी।

5-A. Appointment of new trustees:— (1) When it becomes necessary to appoint a new trustee or trustees in the place of or in addition to any trustee or trustees in whom any property belonging to or held or acquired by a society registered under this Act is vested in trust for such society, such new trustee or trustees may be appointed –

(a) in the manner prescribed by any instrument by which such property is vested or by which the trust on which it is held has been declared, or

(b) in case such manner has not been so prescribed or such new trustee cannot, for any reason be appointed in such manner,

(i) in such manner as may be agreed upon by the members of such society, or

(ii) by a majority of not less than two-thirds of such members actually present at the meeting at which the appointment is made.

(2) Every appointment of a new trustee made under sub-section (1) shall be made to appear by a memorandum under the hand of the chairman for the time being of the meeting at which such appointment is made, attested by two or more credible witnesses in the presence of such meeting, and such memorandum shall be deemed to be a document compulsorily registerable under the Indian Registration Act, 1908 (Central Act XVI of 1908).

5-क. नये न्यासियों की नियुक्ति :– (1) जब किसी ऐसे न्यासी या न्यासियों जिनमें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर निहित है, के स्थान में या उनके अतिरिक्त नया न्यासी या न्यासियों को नियुक्त करना आवश्यक हो जाय तो ऐसा या ऐसे नये न्यासी –

(क) ऐसे किसी लिखित जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित है या जिसके द्वारा वह न्यास जिस पर वह सम्पत्ति धारित है, घोषित किया गया है, द्वारा विहित रीति से, या

(ख) उस दशा में जबकि उक्त रीति इस प्रकार विहित नहीं की गई है या किसी कारणवश ऐसा नया न्यासी उक्त रीति से नियुक्त नहीं किया जा सकता है,

(i) ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा करार पाई जाय, या

(ii) उस सभा में, जिसमें कि नियुक्ति की जाय, वस्तुतः उपस्थित ऐसे सदस्यों में से दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत से नियुक्त किये जा सकेंगे।

(2) किसी नये न्यासी की उप-धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, उस सभा के, जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाय, तात्कालिक अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी सभा की उपस्थिति में दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित ज्ञापन के द्वारा की जायेगी, और ऐसा ज्ञापन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री किये जाने योग्य दस्तावेज समझा जायेगा।

6. Suits by and against societies:— Every society registered under this Act may sue or be sued in such name as shall be determined by the rules and regulations of the society and, in default of such determination, in the name of the chairman or the secretary or trustees thereof.

6. सोसाइटियों द्वारा तथा उनके खिलाफ वाद :– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी ऐसे नाम में, जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय और ऐसे अवधारण के अभाव में, उसके अध्यक्ष या सचिव अथवा न्यासियों के नाम में वाद ला सकेगी अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

7. Suits not to abate:— No suit or proceeding in any Civil Court shall abate or discontinue by reason of the person by or against whom such suit or proceeding shall have been brought or continued dying or ceasing to fill the character in the name whereof he shall have sued or been sued but the same suit or proceeding shall be continued in the name of or against the successors of such person.

7. वादों का उपशमन न होगा :– किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नहीं होगा या वह बंद नही होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ, ऐसा वाद या कार्यवाही लाया गया या जारी रखी गई थी, मर गया है या उस हैसियत में कायम नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाद लाया था या उस पर वाद लाया गया था, किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम में या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी।

8. Enforcement of judgment against society:— (1) If a judgment shall be recovered against a person or officer on behalf of the society, such judgment shall not be put in force against the property movable or immovable, or against the body of such person or officer but against the property of the society.

(2) The application for execution shall set forth the judgment, the fact of the party against whom it shall have been recovered having sued or having been sued, as the case may be, on behalf of the society only and shall require to have the judgment enforced against the property of the society.

8. सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन :– (1) यदि सोसाइटी की ओर से किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय प्राप्त किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जंगम सम्पत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत्त नहीं किया जायेगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवृत्त किया जायेगा।

(2) निष्पादन के लिए आवेदन में, निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरुद्ध उसे प्राप्त किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से यथास्थिति वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाये जाने की

बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय को सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवर्तित कराया जाय।

9. Recovery of penalty accruing under bye-law :— Whenever, by any bye-law duly made in accordance with the rules and regulations of the society or, if the rules or regulations do not provide for the making of bye-laws by any bye-law made at a general meeting of the members of the society convened for the purpose by a majority of not less than three-fifth of the members of the society actually present at such meeting, any pecuniary penalty is imposed for the breach of any rule, regulation or bye-law of the society, such penalty, when accrued, may be recovered in any court having jurisdiction in the place where the defendant shall reside or the society shall be situate, as the governing body of the society shall deem expedient.

9. उप-विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूली :– जब कभी किसी उप-विधि द्वारा, जो सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक्तः बनाई गई हो या यदि नियम या विनियम उप-विधियां बनाने के लिए उपबंध नहीं करते हैं तो किसी ऐसे उप-विधि द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में वस्तुतः उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों के तीन घटा पांच से अन्यून बहुमत द्वारा बनाई गई हो, सोसाइटी के किसी नियम, विनियम या उप-नियम के भंग के लिए कोई धन-संबंधी शास्ति अधिरोपित की जाती है तो ऐसी शास्ति जब प्रोद्भूत हो जाये, किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता उस स्थान में हो जहां प्रतिवादी निवास करता है या वहां हो जहां सोसाइटी स्थित है, जैसा भी सोसाइटी का शासी निकाय समीचीन समझे।

10. Members liable to be sued as strangers :— (1) Any member of a society registered under this Act, who may be in arrear of a subscription which, according to the rules and regulations of the society, he is bound to pay or who shall possess himself of or detain any property of the society in a manner or for a time contrary to such rules and regulations or shall injure or destroy any property of the society, may be sued for such arrears or for the damage accruing from such possession, detention, injury or destruction of the property in the manner herein before provided.

(2) If in any suit or proceeding brought under sub-section (1) at the instance of the society the defendant shall be successful and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit or other proceeding shall be brought or from the society, and in the latter case, shall have process against the property of the said society in the manner above described.

10. सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वधीन होना:– (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ऐसे सदस्य के खिलाफ, जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो, जिसे वह सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार संदत्त करने के लिए आबद्ध है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर स्वयं कब्जा या उसका निरोध इस रीति से या इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे नियमों और विनियमों के प्रतिकूल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे कब्जे, निरोध क्षति या नाश से प्रोद्भूत होने वाले नुकसान के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से, वाद लाया जा सकेगा।

(2) यदि प्रतिवादी, सोसाइटी की प्रेरणा पर उप-धारा (1) के अधीन लाये गये किसी वाद या कार्यवाही में सफल होता है और उसके पक्ष में उसके खर्चों की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद या अन्य कार्यवाही की गई थी अथवा सोसाइटी से, उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चात्वर्ती दशा में वह ऊपर वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा।

11. Members guilty of offences punishable as strangers:— Any member of a society registered under this Act, who shall steal, purloin or embezzle any money or other property or wilfully and maliciously destroy or injure any property of such society or shall forge any deed, bond, security for money, receipt or other instrument whereby the funds of the society may be exposed to loss shall be subject to the same prosecution, and if convicted, shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member of the society would be subject and liable to in respect of the like offence.

11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना:– इस अधिनियम के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुरायेगा, हड़पेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और विद्वेषता से नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा अथवा किसी विलेख, बंधपत्र, धन की प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखित को कूटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड़ जायें वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्ध दोष हुआ तो वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बाबत अभियोजनीय और दण्डनीय होता।

12. Societies enable to alter, extend, or abridge purposes or to amalgamate:— (1) Whenever it shall appear to the governing body of any society registered under this Act, which has been established for any particular purpose or purposes, that it is advisable to alter, extend or abridge such purpose or purposes to or for other purpose or purposes within the meaning of this Act or to amalgamate such society either

wholly or partially with any other society, such governing body may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report and may convene a special general meeting for the consideration thereof according to the rules and regulations of the society.

(2) No such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the society ten days previous to the special general meeting convened by the governing body for the consideration thereof nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of two-thirds of the members delivered in person or by proxy and confirmed by the votes of two-thirds of the members present at a second special meeting convened by the governing body at an interval of one month after the former meeting.

12. सोसाइटियों के प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने अथवा समामेलित करने के लिए समर्थ बनाना :– (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी अन्य प्रयोजन या प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णत: या अंशत: किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना उपयुक्त होगा तब ऐसी शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए विशेष साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।

(2) ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक कार्यान्वित नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाये गये साधारण विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेज दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त किये गये हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात् एक मास के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा बुलाये गये दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती।

12-A. Change of name of societies:— Any society registered under this act may, with the consent of not less than two-thirds of its members by a resolution passed at a special general meeting convened for the purpose in according with the rules and regulations of the society and subject to the provisions of section 12-B, change its name.

12-क. सोसाइटियों का नाम परिवर्तन :- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपना नाम तत्प्रयोजनार्थ बुलाये गये विशेष साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने सदस्यों के दो बटा तीन से अन्यून सदस्यों की सम्मति से सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार तथा धारा 12-ख के उपबंधों के अध्यधीन परिवर्तित कर सकेगी।

12-B. Notice of change of name— (1) Notice in writing of every change in name signed by the secretary and by seven members of the society changing its name shall be sent to the Registrar, within fifteen days of the passing of the resolution under section 12-A.

(2) The Registrar shall, if he is satisfied that the provisions of this Act in respect of change of name have been complied with, register the change of name and issue a certificate of registration altered to meet the circumstances of the case.

(3) The change of name shall be complete on the issue of a certificate under sub-section (2) and shall have effect from the date of the issue thereof.

(4) The Registrar shall charge for any copy of a certificate issued under sub-section (2) a fee of one rupee and all fees so paid shall be accounted for to the State Government.

12-ख. नाम परिवर्तन की सूचना :- (1) नाम में प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सचिव के तथा नाम परिवर्तन करने वाली सोसाइटी के सात सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, रजिस्ट्रार को, धारा 12-क के अधीन संकल्प पारित होने से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जायेगी।

(2) रजिस्ट्रार, यदि उसका समाधान हो जाय कि नाम परिवर्तन के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है, नाम परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस मामले की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) नाम परिवर्तन उप-धारा (2) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी होने पर पूर्ण हो जायेगा और उसके जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा।

(4) रजिस्ट्रार उप-धारा (2) के अधीन जारी किये गये प्रमाण-पत्र की किसी प्रतिलिपि के लिए एक रुपया फीस प्रभारित करेगा और इस प्रकार संदत्त की गई समस्त फीस का लेखा-जोखा राज्य सरकार को दिया जायेगा।

12-C. Effect of change of name :— The change in the name of a society registered under this Act shall not affect any rights or obligations of the society or render defective any legal proceeding by or against the [illegible] and any [illegible] proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name [illegible] continued by or against it new name.

12-ग. नाम परिवर्तन का प्रभाव :– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस सोसाइटी के किन्हीं भी अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटियुक्त बनेगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू रखी जा सकती थी या प्रारम्भ की जा सकती थी, उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नये नाम से चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी।

13. Provision for dissolution of societies and adjustment of their affairs :— Any number not less than two-thirds of the members of a society registered under this Act may determine that it shall be dissolved, and thereupon it shall stand dissolved forthwith or at the time then agreed upon and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the society and its claims and liabilities according to the rules and regulations of the said society, applicable thereto, if any, and, if not, then as the governing body, or a special committee formed to replace the governing body in respect of all matters affecting the winding-up of the affairs of the society, shall find expedient:

Provided that—

(i) in the event of any dispute arising among the governors, directors, trustees or members of the said governing body or, if it has been replaced by a special committee as aforesaid, among the members thereof or among the members of the society, the adjustment of its affairs shall be referred to the principal court of original civil jurisdiction of the district in which the principal office of the society is situated and the Court shall make such order in the matter as it shall deem requisite;

(ii) any matter decided by two-thirds of the members of the society or of the governing body thereof or of any special committee formed to replace the governing body for the purpose of winding up the affairs of the society present either in person or by proxy at any meeting of such society or governing body or special committee shall not be deemed to be a matter of dispute within the meaning of clause (i);

(iii) no society shall be dissolved unless two-thirds of its members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person or by proxy at a special general meeting convened for the purpose;

(iv) whenever any Government is a member of or a contributor to, or otherwise interested in any society registered under this Act, such society shall not be dissolved without the consent of such Government; and

(v) nothing in this section shall be deemed to affect any provision contained in any instrument for the dissolution of such society.

13. सोसाइटियों के विघटन और उनके काम-काज के समायोजन के लिए उपबन्ध :– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के दो बटा तीन से अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाय और तब तक तत्क्षण या तत्समय सहमत समय पर विघटित कर दी जायेगी और सोसाइटी की सम्पत्ति और उसके दावों और दायित्वों के निपटारे और व्यवस्थापन के लिए, उसको लागू उस सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, और यदि कोई न हों तो जैसा शासी निकाय या वह विशेष समिति, जो सोसाइटी के काम-काज के परिसमापन पर प्रभाव डालने वाले समस्त मामलों के बारे में शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई हो, समीचीन समझे उसके अनुसार, सब आवश्यक कार्यवाही की जायेगी :

परन्तु –

(i) उक्त शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, प्रवासियों अथवा सदस्यों अथवा यदि वह विशेष समिति द्वारा यथा पूर्वोक्त प्रतिस्थापित कर दी गई हो तो उसके सदस्यों अथवा सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसमें काम-काज का समायोजन, उस जिले के जिसमें सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थित है, आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा; और न्यायालय मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणीय समझे;

(ii) कोई मामला, जो सोसाइटी के या उसके शासी निकाय के या सोसाइटी के काम-काज का परिसमापन करने के प्रयोजनार्थ शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई किसी विशेष समिति के किसी सोसाइटी या शासी निकाय या विशेष समिति के किसी अधिवेशन में स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन द्वारा विनिश्चित किया गया हो, खण्ड (i) के अर्थान्तर्गत विवादग्रस्त विषय नहीं समझा जायेगा;

(iii) कोई सोसाइटी तब तक विघटित नहीं की जायेगी जब तक कि सदस्यों में से दो बटा तीन ने ऐसे विघटन के लिए इच्छा से ऐसे विशेष साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त अपने मतों से, अभिव्यक्त न कर दी हो; और

(iv) जब कभी कोई सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सदस्य हो या अभिदायकर्ता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विघटन ऐसी सरकार की सम्मति के बिना नही किया जायेगा; और

(v) इस धारा की कोई बात किसी लिखत में ऐसी सोसाइटी के विघटन के लिए अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

14. Upon dissolution no member to receive surplus property :— If upon the dissolution of any society registered under this Act there shall remain after the satisfaction of all its debts and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the said society or any of them but shall be given to some other society, whether registered under this Act or not, to be determined by the votes of not less than two-thirds of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution or, in default thereof, by such court as aforesaid:

Provided that this section shall not apply to any society which shall have been founded or established by the contributions of shareholders in the nature of a Joint Stock Company:

Provided further that nothing in this section shall be deemed to affect any provision contained in any instrument for the payment or distribution of the property of a society dissolved under section 13.

14. विघटन पर किसी सदस्य का अधिशेष सम्पत्ति प्राप्त न करना :– यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के विघटन पर, उसके सब ऋणों और दायित्वों की पुष्टि के पश्चात्, कोई भी सम्पत्ति रह जाय तो वह उक्त सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को संदत्त या उनको वितरित नहीं की जायेगी, किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, को दी जायेगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन से अन्यून मतों द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है, अवधारित की जायगी:

परन्तु यह धारा किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में शेयर-धारकों के अभिदायों से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी की सम्पत्ति के संदाय या वितरण के लिए किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

14-A. Surplus property may be given to Government :— Notwithstanding anything contained in section 14, it shall be lawful for the members of any society dissolved under section 13 to determine by the votes of not less than two-third of their total number that any property whatsoever remaining after the satisfaction of all its debts and liabilities shall be given to the State Government to be utilised for any of the purposes specified in section 1-B.

14-क. अधिशेष सम्पत्ति सरकार को दी जा सकेगी :– धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए उनकी कुल संख्या

के दो बटा तीन से अन्यून मतों द्वारा यह अवधारित कराना विधिपूर्ण होगा कि सोसाइटी के सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् जो कोई भी सम्पत्ति रह जाय वह धारा 1-ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु राज्य सरकार को दी जायेगी।

15. Member of society defined :— For the purposes of this Act, a member of a society shall be a person who having been admitted therein according to the rules and regulations thereof, shall have paid a subscription or shall have signed the roll or list of members thereof and shall not have resigned in accordance with such rules and regulations or a person who shall have been appointed or selected to be a governor, director, trustee or members of the governing body of such society in accordance with such rules and regulations; but in proceedings under this Act no person shall be entitled to vote or to be counted as a member whose subscription at the time shall have been in arrear for a period exceeding three months.

15. सोसाइटी के सदस्य की परिभाषा :– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सोसाइटी का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित कर लिए जाने पर चन्दा दे दिया हो या उसके सदस्य की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिये हों और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पद त्याग न किया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति या चयन ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय के व्यवस्थापक, निदेशक, न्यासी या सदस्य के रूप में हो गया हो किन्तु इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति, जिसका चन्दा उस समय तीन मास से अधिक का बकाया हो, सदस्य के रूप में मत देने या गिने जाने का हकदार नहीं होगा।

16. Governing body defined :— The governing body of a society shall be the council, committee or other body (consisting of governors, directors, trustees or members) to which by the rules and regulations of the society the management of its affairs is entrusted for the time being.

16. शासी निकाय की परिभाषा :– परिषद्, समिति या अन्य निकाय (जो व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों से मिलकर बना हो) जिसकी सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रबंध सौंपा गया हो, सोसाइटी के शासी निकाय होंगे।

17. Registration of societies formed before Act and not registered :— (1) Any society established and constituted for any of the purposes specified in section 1-B, and any society of the nature mentioned in section 20 so established and constituted, previously to the passing of this Act and not registered under any law repealed by section 21 may at any time hereafter be registered as a society under and in accordance with the provisions of this Act.

(2) In the case of any such society, if no governing body thereof shall have been constituted on the establishment of the society, it shall be competent for the members thereof, upon due notice, to create a governing body to act for the society thenceforth.

17. अधिनियम के पूर्व बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत नहीं हुई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण :– (1) धारा 1-ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थापित और गठित कोई सोसाइटी और धारा 20 में वर्णित प्रकार की अधिनियम के पारित होने से पूर्व इस प्रकार स्थापित और गठित धारा 21 द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हुई सोसाइटी, एतद्पश्चात् सोसाइटी के रूप में किसी भी समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी।

(2) ऐसी किसी सोसाइटी की दशा में यदि सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई शासी निकाय गठित न किया गया हो तो उसके सदस्यों के लिये यह सक्षम होगा कि वे सम्यक् सूचना पर, तब से सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए एक शासी निकाय बना लें।

18. Power of Registrar to refuse registration in certain cases:— (1) The Registrar shall refuse to register—

(a) a society under section 3, or

(b) the change of name made under section 12-A, or

(c) a society under section 17,

If the proposed name of such society is identical with that by which any other existing society has been registered or in the opinion of the Registrar so nearly resembles such other name as to be likely to deceive the public or the members of either society.

(2) The provisions of sub-section (1) shall also apply to societies referred to in sub-section (2) of section 21 and to changes of name referred to in sub-section (3) of that section and if, under the laws repealed by sub-section (1) of section 21, any two or more societies have been registered with identical names or with names which, in the opinion of the Registrar, so nearly resemble each other as to be likely to deceive the public or the members of such societies, the society which was so registered first of all shall continue to function under its original name and other such societies shall change, and may be required by the Registrar to change their names suitably within a period of six months from the commencement of this Act.

18. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति :– (1) रजिस्ट्रार –

(क) किसी सोसाइटी की धारा 3 के अधीन, या

(ख) धारा 12-क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन का, या

(ग) किसी सोसाइटी का धारा 17 के अधीन,

रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा,

यदि ऐसी सोसाइटी का प्रतिस्थापित नाम उस नाम के समरूप है जिससे किसी अन्य विद्यमान सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया गया है, अथवा रजिस्ट्रार की राय में ऐसे अन्य नाम के इतना सदृश्य है कि उससे जनता या दोनों में से किसी सोसाइटी के सदस्यों का प्रवंचित हो जाना संभाव्य है।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्ध धारा 21 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सोसाइटियों पर और उस धारा की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट नाम परिवर्तन पर लागू होंगे और यदि धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा निरसित विधियों के अधीन कोई दो या अधिक सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण समरूप नामों से या ऐसे नामों से जो रजिस्ट्रार की राय में एक-दूसरे से इतने सदृश्य हैं कि उनसे जनता या ऐसी सोसाइटियों के सदस्यों का प्रवंचित हो जाना संभाव्य है, किया गया है तो वह सोसाइटी जो सर्वप्रथम इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत की गई थी अपने मूल नाम से काम करना चालू रखेगी और ऐसी अन्य सोसाइटियां अधिनियम के प्रारम्भ से छः मास की कालावधि के भीतर अपने नाम यथोचित रूप से बदल लेगी और उनसे अपने नाम बदल लेने की रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी।

[1][**18A. Power of Registrar to refuse or to cancel the registration of certain Societies.**— (1) The Registrar shall refuse to register-

(a) a Society under section 3, or

(b) the change of name made under section 12-A.

if the main activities of the Society include Sports and the expression Rajasthan or the name of any District as a part of the proposed name of the Society.

(2) If the name of a Sports Society registered before the commencement of the Rajasthan Sports Associations (Registration, Recognition and Regulation) Act, 2005 (Act No. 4 of 2005) contains as part of its name the expression 'Rajasthan' or the name of any District of the State, such Society shall amend its name to remove 'Rajasthan' or, as the case may be, the name of the district from the registered name of the Society within thirty days from such commencement.

(3) If any Society fails to comply with the provisions of sub-section (2), the Registrar shall, after giving an opportunity of hearing to such Society, cancel the registration of such Society.

(4) Cancellation of registration under sub-section (3) shall operate as if the members of such Society have resolved to dissolve the Society and the provisions of this Act shall apply accordingly.]

---

1. Inserted by Raj. Act No. 4 of 2005 (w.e.f. 18.8.2004)

[3][18 क. **कतिपय सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने या रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति** :- (1) रजिस्ट्रार-

(क) धारा 3 के अधीन किसी सोसाइटी, या

(ख) धारा 12-क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन,-

का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करेगा यदि सोसाइटी के मुख्य क्रियाकलापों में क्रीड़ा सम्मिलित है और अभिव्यक्ति राजस्थान और किसी जिले का नाम सोसाइटी के प्रस्तावित नाम के भाग-रूप में सम्मिलित हो।

(2) यदि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 4) के प्रारम्भ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी क्रीड़ा सोसाइटी के नाम में अभिव्यक्ति "राजस्थान" या राज्य के किसी जिले का नाम उसके भागरूप में है तो ऐसी सोसाइटी ऐसे प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर-भीतर सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत नाम से राजस्थान या, यथास्थिति, उस जिले का नाम हटाने के लिए अपने नाम में संशोधन करेगी।

(3) यदि कोई भी सोसाइटी उप-धारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने सोसाइटी को विघटित करने का संकल्प किया है और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।]

19. Inspection of documents and certified copies thereof :— Any person may inspect all documents filed with the Registrar under this Act on payment of a fee of one rupee for each inspection and any person may require a copy or extract of any document or part of any document to be certified by the Registrar, on payment of [1][twenty five paisa] for every hundred words of such copy of extract, and such certified copy shall be *prima facie* evidence of the matters therein contained in all proceedings whatever.

19. **दस्तावेजों का निरीक्षण तथा उनकी प्रमाणित प्रतियां** :- कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई सब दस्तावेजों का निरीक्षण, हर निरीक्षण के लिये एक रुपये की फीस देकर कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिये पच्चीस पैसे देकर अपेक्षित कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रति सभी विधि कार्यवाहियों में उसमें अन्तर्विष्ट विषयों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी।

20. Societies that may be registered under the Act :— The following societies may be registered under this Act, namely :-

Societies established for charitable purposes; military orphan funds; societies established for the promotion of [2][Khadi & Village Industry],

1. Substituted by Raj. Act No. 3 of 1967, Vide Sec. 2, published in Raj. Gazette E.O. Part IV-A, dated 20.7.1967.
2. Inserted by Raj. Act No. 17 of 1995 (w.e.f 17.5.1995).
3. 2005 का राजस्थान अधिनियम सं. 4 द्वारा अन्तःस्थापित (18.8.2004 से प्रभावी)।

literature, science or the fine arts; societies established for instruction or the diffusion of useful knowledge or political education; societies established for the foundation or maintenance or libraries or reading rooms for general use among the members or open to the public or public museums and galleries or painting and other works of art; societies established for collections of natural history and for mechanical and philosophical inventions, instruments or designs.

20. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :– इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी, अर्थात् :–

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित-कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

21. Repeal and savings:— (1) The Societies Registration Act, 1860 (Central Act XXI of 1860), as adapted to the pre-reorganisation State of Rajasthan by means of Rajasthan Ordinance IV of 1950 and all laws relating to the registration of societies which may be in force in any part of the State shall stand repealed upon the commencement of this Act.

(2) All societies registered under any of the laws mentioned in sub-section (1) shall, if they may be registered under this Act, be deemed to have been registered hereunder.

(3) All changes made in the names of such societies as are referred to in sub-section (2), previously to the commencement of this Act, shall be deemed to have been made under this Act:

Provided that, if such change shall not have been registered or a certificate in receipt thereof shall not have been issued in accordance with section 12-B, such registration shall be made and certificate shall be issued under that section on application being made to the Registrar in that behalf within three months from the commencement of this Act.

1. 1995 का राजस्थान अधिनियम सं. 17 द्वारा अन्तःस्थापित (17.5.1995 से प्रभावी)।

(4) All other actions taken or orders given under the laws mentioned in sub-section (1) shall unless repugnant to, or inconsistent with, the provisions of this Act, be deemed to have been taken or given, as the case may be, under this Act.

(5) If, in the case of any society deemed to have been registered under this Act, no action of the nature specified in section 4-A, shall have been taken previously to the commencement of this Act, such action shall first be taken within three months after such commencement and thereafter in accordance with that section and for any failure to do so the person responsible shall be liable under section 4-B.

21. निरसन और व्यावृति :– (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) जैसा कि 1950 के राजस्थान अध्यादेश 4 के द्वारा पुनर्गठन राजस्थान राज्य के लिए अनुकूलित किया गया और सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी समस्त विधियां जो राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त हों, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर निरसित हो जायेंगी।

(2) उप धारा (1) में वर्णित विधियों में से किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सोसाइटियां यदि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकती हैं तो तद्धीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेंगी।

(3) ऐसी सोसाइटियां जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट हैं, के नामों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये समस्त परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे :

परन्तु यदि ऐसा परिवर्तन धारा 12-ख के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है या उसकी प्राप्ति में कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर इस निमित्त रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र देने पर उस धारा के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा और प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

(4) उप-धारा (1) में वर्णित विधियों के अधीन की गई अन्य समस्त कार्यवाहियां या दिये गये आदेश जब तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध या असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन की गई या दी गई यथास्थिति समझी जायेगी।

(5) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी गई किसी सोसाइटी की दशा में धारा 4-क में विनिर्दिष्ट प्रकार की कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नहीं की गई है तो ऐसी कार्यवाही ऐसे प्रारंभ के पश्चात् तीन मास के भीतर सर्वप्रथम और तत्पश्चात् उस धारा के अनुसार की जायेगी और ऐसा करने में असफल रहने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति धारा 4-ख के अधीन दायी होगा।

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:फा.4(6)सविरा/विपु/2005 दिनांक 13/10/05

संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां,
नियम ।

488

विषय: रजिस्ट्रेशन के संबंध में ।

महोदय,

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर में विचाराधीन परिवाद संख्या 04/17/1694 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में समस्त पंजीयक ~~संस्थाओं~~ । को निर्देशित किया जाता है कि वे संस्था पंजीयन अधिनियम, 1958 के तहत ऐसी संस्थाओं का पंजीयन नहीं करें जिनके नाम में "राष्ट्रीय मानवाधिकार अथवा राज्य मानवाधिकार" शब्दों का प्रयोग होता हो अथवा इनसे मिलते जुलते हुए शब्दों का प्रयोग किया हुआ हो, जिससे कि आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो एवं आमजन इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / राज्य मानवाधिकार आयोग की कोई शाखा अथवा सहायक संस्था न समझे। आयोग से प्राप्त निर्देशों की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न:उक्तानुसार ।

(सुधांश पंत)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि: राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

रजिस्ट्रार

Keep in file
17-10

सहकारी विभाग राजस्थान
जयपुर।

क्रमांक : फा. सविरा/रजि./नियं./1/87-88 दिनांक 18/12/99

मुख्य/उप/सहायक रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त,

विषय:- संस्था के नाम का दुरुपयोग बाबत ।

---00---

अवर सचिव, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने पत्रांक एफ. 23(3)(आई.टी./99 दिनांक 9.11.99 द्वारा यह सूचित कराते हुए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पोषित उच्च अकादमिक स्तर की संस्थाऐं, जिनके नाम के प्रारम्भ में इंडियन इंस्टीट्यूट " शब्द लगते हैं यथा "इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी", इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट" तथा इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड मैनेजमेंट" आदि का कतिपय निजी निकायों द्वारा आमजन को भ्रमित करने के उद्धेश्य से पंजीयन कराया जाकर इन शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है । जिसके कारण उपर्युक्त उच्च गुणावत्ता एवं स्तरीय संस्थाओं की छवि एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है, जिसे हतोत्साहित किया जाना नैतिक एवं वैधानिक रूप से औचित्यपूर्ण है ।

अत: आदेश दिये जाते हैं कि भविष्य में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्राप्त होने वाली संस्थाओं के नाम के प्रथम शब्दों में "इंडियन इन्स्टीट्यूट" शब्द का पंजीकरण तब तक नहीं किया जावे तब तक कि यह सुनिश्चित नहीं कर लिया जावे कि ऐसी प्रस्तावित संस्था भारत सरकार द्वारा पोषित एवं मान्यता प्राप्त है ।

(ओ.पी. सैनी)
रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ, राजस्थान
एवं
रजिस्ट्रार, संस्थाएँ

क्रमशः/

कार्यालय रजिस्टार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.सविरा/रजि./मिस./2159 दिनांक 11.11.08

रजिस्ट्रार, संस्थाएँ एवं
उप / सहायक रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां,
.... (समस्त)

विषयः संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीयन एवं पश्चात्‌वर्ती कार्यवाही के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

प्रायः देखा गया है कि अनेक बार इकाई अधिकारियों द्वारा संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्थाओं का पंजीकरण करने अथवा पंजीकृत संस्थाओं के संबंध में अधिनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते समय विभिन्न बिन्दुओं पर प्रधान कार्यालय से मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है, जिससे आवेदकों को संस्था पंजीयन हेतु अथवा पंजीकृत संस्थाओं के मामले में वांछित कार्यवाही हेतु अनावश्यक रूप से विलम्ब का सामना करना होता है। अतः संस्था पंजीकरण तथा पश्चातवर्ती कार्यवाही हेतु फील्ड कार्यालयों से चाहे जाने वाले मार्गदर्शन एवं जनसामान्य द्वारा प्रेषित पत्रों के दृष्टिगत संस्थाओं के पंजीकरण को सुगम बनाने हेतु निम्न मार्गदर्शक बिन्दु प्रेषित हैं:–

01. संस्था पंजीकरण हेतु अधिनियम में न्यूनतम 7 व्यक्तियों का सदस्य होना आवश्यक है। अधिनियम इस बिन्दु पर मौन है कि वे एक ही परिवार के हों अथवा पृथक–पृथक परिवार के। अतः केवल सात से अन्यून सदस्यता की बाध्यता रखें, पृथक–पृथक परिवार से होने की नहीं।

02. अधिनियम, समिति का कार्यक्षेत्र क्या होगा, इस बारे में मौन है। अतः इस हेतु आवेदकों को बाध्य नहीं किया जावे। तथापि यह आवश्यक है कि जिस जिले में संस्था का मुख्यावास रखा गया है, उस जिले का रजिस्ट्रार, संस्थाएं ही, उक्त संस्था का पंजीकरण कर सकेगा, चाहे संस्था का कार्यक्षेत्र कुछ भी हो।

03. यह भी पाया गया कि संस्था पंजीकरण कराने हेतु प्रस्तावकों से उस विषय का अनुभव प्रमाण पत्र चाहा जाता है, जिस विषय के संबंध में संस्था पंजीकृत की जानी है। उल्लेखनीय है कि संस्था पंजीकरण अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संबंधित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों की ही संस्था पंजीकृत की जावे। अतः इस शर्त हेतु प्रस्तावकों को बाध्य नहीं किया जावे।

04. अल्प बचत को प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर जिला प्रशासन द्वारा लक्ष्य आवंटित किये जाते है। इसके दृष्टिगत प्रस्तावकों को अल्प बचत हेतु प्रेरित अवश्य किया जावे, किन्तु विनियोजन हेतु बाध्य नहीं किया जाए, क्योंकि यह अधिनियम की पंजीकरण संबंधी शर्तों का अंग नहीं है।

05. बहुधा समितियों द्वारा चुनाव कराने हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति अथवा पर्यवेक्षक नियुक्त करने हेतु मांग की जाती है। समिति का चुनाव कराना स्वयं समिति के क्रियाकलापों के अन्तर्गत आता है। अधिनियमानुसार रजिस्ट्रार, संस्थाएं की इसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। अतः ऐसे प्रस्तावों से अपने आपको निर्लिप्त रखा जावे।

06. बहुधा संस्थाओं के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं एवं उन पर जांच कराने का अनुरोध भी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम में जांच करने अथवा इस क्रम में किसी प्रकार की शास्ति आरोपित करने का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। अतः इकाई अधिकारी संस्था के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप से दूर रहें।

07. सामान्यतः संस्थाओं के चुनाव इत्यादि होने पर समिति द्वारा निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत कर उसके अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रार, संस्थाएँ से अनुरोध किया जाता है। ज्ञातव्य है कि संस्था का चुनाव रजिस्ट्रार, संस्थाएं अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा नहीं कराया जाता है, अतः अनुमोदन करने का अधिकार रजिस्ट्रार, संस्थाएँ का नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी आवेदक द्वारा चाहे जाने पर अधिनियम की धारा 19 के तहत राशि जमा कराई जाकर संस्था की ओर से प्रस्तुत पत्रादि की प्रमाणित प्रति जारी की जा सकती है।

08. यदि कोई व्यक्ति संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत किसी संस्था के संबंध में कोई पत्रादि कार्यालय में प्रस्तुत कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो इकाई अधिकारी उसके द्वारा प्रस्तुत पत्रादि पत्रावली में शामिल कर इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि उक्त पत्रादि शामिल पत्रावली कर लिया गया है।

इस कार्य को सुगम बनाने के दृष्टिगत कार्यालय में निम्न प्रकार की एक मुहर (सील) बनवाई जाकर सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति पर अंकित कर हस्ताक्षर किया जाना उचित है:–

"राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गए पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. .... से .... तक उपलब्ध है, की प्रमाणित प्रति है।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक *नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर*

रजिस्ट्रार, संस्थाएं"

09. किसी प्रस्तावित संस्था का नाम भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी विभाग, संस्थान, आयोग, किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि के अधीन गठित किसी संस्थान, अधिकरण अथवा निकाय के नाम के समरूप नहीं होगा तथा न ही ऐसा होगा जो नामसाम्य के कारण जनसामान्य में ऐसे किसी संस्थान की भ्रान्ति पैदा करे।

10. जहां किसी राजकीय विभाग द्वारा प्रवर्तित किसी योजना के तहत किसी संस्था का गठन किया जाए, तो उसके गठन के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई आदर्श विधान नियमावली जारी की गई हो तो उसके अन्तर्गत एवं तदनुसार ही संस्था का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि इकाई अधिकारी उनके कार्यालय में संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही करते समय उक्त मार्गदर्शक बिन्दुओं का आवश्यक रूप से अनुसरण करेंगे।

11/11/08

(सुधांश पंत)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि:–
संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, ... (खण्ड) .... (समस्त)।

11/11/08

रजिस्ट्रार

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा.सविरा/रजि./मिस./2/59 पार्ट–3 दिनांक 21/03/12

1. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक,
   सहकारी समितियां,
   (समस्त)
2. रजिस्ट्रार, संस्थायें,
   एवं
   उप/सहायक पंजीयक,
   सहकारी समितियां,
   (समस्त)

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा धारा 4 एवं 4–क की पालना सुनिश्चित करने हेतु।

——00——

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार उक्त अधिनियमान्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक संस्था के लिये प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक साधारण अधिवेशन के चौदह दिन के भीतर अथवा संस्था के विनियमों में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपबन्ध नहीं होने की स्थिति में जनवरी माह में रजिस्ट्रार के पास एक सूची, जिसमें संस्था के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों के, जिनको कि संस्था के काम–काज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपजीविकाएं अंकित हों, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 4–क के अन्तर्गत धारा 4 में वर्णित सूची के साथ ही संस्था के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में उस वर्ष हुऐ परिवर्तनों का विवरण तथा संस्था के नियमों एवं विनियमों की एक प्रति, जो संस्था के शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से कम से कम तीन के द्वारा हस्ताक्षरित हो, भी रजिस्ट्रार, संस्थायें को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही संस्था के नियमों एवं विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रमाणित प्रति, रजिस्ट्रार, संस्थायें को, ऐसे परिवर्तन के 15 दिवस के भीतर प्रेषित की जानी भी अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4–ख के अनुसार यदि किसी संस्था का अध्यक्ष, सचिव या संस्था के नियमों और विनियमों द्वारा अथवा संस्था के शासी निकाय के किसी संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो कि अधिनियम की धारा 4 एवं 4–क की पालना किये जाने के लिये दायित्वाधीन हैं, उक्त धारा 4 एवं 4–क के उपबन्धों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, संस्थायें को सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह दोष सिद्ध होने पर 500/– रूपये तक के आर्थिक दण्ड का भागीदार हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिये प्रथम दोष सिद्धि के

पश्चात् भी उक्त धाराओं की पालना में व्यतिक्रम चालू रहने की दशा में प्रत्येक दिन, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, के लिये उस पर 50/– रूपये से अनधिक आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के भी प्रावधान हैं।

इसी प्रकार उक्त धारा 4–ख की उपधारा–2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 4 एवं 4–क के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये गये किसी विवरण में या नियमों और विनियमों में किये गये परिवर्तनों की प्रति में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या कराता है तो वह दोष सिद्ध होने पर, दो हजार रूपये तक के अर्थदण्ड के लिये दण्डनीय होगा।

प्रायः देखा गया है कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों की पालना न तो स्वयं संस्थाओं के स्तर से ही की जा रही है तथा ना ही इकाई अधिकारियों द्वारा ही उक्त प्रावधानों की पालना करवाये जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अतः ऐसी स्थिति में, जबकि संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या बहुत अधिक है तथा सभी संस्थाओं में एक साथ कार्यवाही किया जाना व्यावहारिक रूप से कठिन है, अधिनियम के उक्त प्रावधानों की पालना करवाये जाने की दिशा में निम्नानुसार चरणबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1. प्रथमतः रजिस्ट्रार, संस्थायें अपने क्षेत्राधिकार में, जहां कि उनके द्वारा पंजीकृत संस्थाओं के पंजीकृत कार्यालय स्थित हों, समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवायें, जिसमें कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्हें आगामी एक माह के भीतर उक्त विधिक प्रावधानों की पालना किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।
2. तदनन्तर प्रथम चरण में इकाई अधिकारियों द्वारा उनके कार्यालय में पंजीकृत संस्थाओं में से ऐसी संस्थाओं, जिनके संबंध में बहुधा विवाद अथवा शिकायतें प्राप्त होती रहीं हैं अथवा ऐसी संस्थायें, जिन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं से आर्थिक सहायता, अनुदान आदि प्राप्त हो रहे हैं, अधिनियम के उक्त प्रावधानों की पालना करवाने जाने हेतु चिन्हित किया जावे। अगले चरण में अन्य ऐसी संस्थाओं, जिनसे कि जनसामान्य के हित अधिक जुड़े हुए हैं, अथवा जिनकी सदस्य संख्या बहुत अधिक है, को कार्यवाही हेतु चिन्हित किया जाये तथा तीसरे चरण में शेष संस्थाओं को लिया जाये।
3. जैसा कि ज्ञात हुआ है कि अधिनियम की धारा 4 एवं 4–क की पालना किये जाने के संबंध में विभागीय स्तर पर अभी तक धारा 4–ग के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जाती रही है, अतः उचित होगा कि धारा 4–ग के अन्तर्गत उक्तानुसार किसी भी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व, संबंधित संस्था को एक माह का समय देते हुए उक्त प्रावधानों की पालना कर लिये जाने हेतु नोटिस जारी किया जावे।
4. यदि नोटिस जारी कर दिये जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की जाती है, तो संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव या संस्था के नियमों और विनियमों द्वारा अथवा संस्था के शासी निकाय के किसी संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो कि

अधिनियम की धारा 4 एवं 4–क की पालना किये जाने के लिये दायित्वाधीन है, के विरूद्ध धारा 4–ग के प्रावधानानुसार संबंधित क्षेत्र में सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिनियम की धारा 4–ग के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर या तो स्वयं अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से प्रस्तुत करावें।

इसके अतिरिक्त खण्डीय अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयकों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वे अपने खण्ड से संबंधित इकाई अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु प्रतिमाह इकाई अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उक्त कार्य की प्रगति की समीक्षा की जावे तथा प्रतिमाह अर्द्धशासकीय पत्र के साथ प्रेषित की जाने वाली सूचना के साथ ही उक्त कार्य की प्रगति निम्न प्रपत्र में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे :–

खण्ड का नाम ....

क्र.सं.	इकाई का नाम	धारा 4–ग में गत माह तक दर्ज प्रकरणों की संख्या	धारा 4–ग में इस माह दर्ज प्रकरणों की संख्या	धारा 4–ग में दर्ज कुल प्रकरण
1	2	3	4	5

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिस माह की सूचना प्रेषित की जा रही है, उस माह धारा 4–ग में दर्ज करवाये गये प्रकरणों की सूची भी पृथक से संलग्न की जावे।

यदि किसी अधिकारी द्वारा उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो इसका उल्लेख संबंधित अधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से किया जावे।

(प्रेमसिंह मेहरा)
रजिस्ट्रार,

21/03/12

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

जयपुर, दिनांक 3/5/12

क्रमांक प. 4(5)सह/91

अधिसूचना

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (1958 के अधिनियम संख्या-28) की धारा-3 की उप धारा(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹ 5,000/- के स्थान पर ₹ 10,000/- निर्धारित करती है।

परन्तु राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत निम्न प्रकार की संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन शुल्क नीचे दिये अनुसार होगाः-

4 MAY 2012

1- गौ सेवा समितियों का पंजीकरण शुल्क ₹ 100/-
2- राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसायटी, जलधारा समितियों, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों का पंजीकरण शुल्क ₹ 500/-
3- नेहरु युवा मण्डलों का पंजीकरण शुल्क ₹ 250/- तथा
4- राजीव गांधी यूथ क्लबों का पंजीकरण शुल्क ₹ 250/-

राजयपाल की आज्ञा से,
(महेश चंद गुप्ता)
उप शासन सचिव

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा.सविरा/रजि./मिस./2/59 पार्ट-3 दिनांक 8/5/2012

प्रतिलिपि अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां (समस्त) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप पंजीयक (नियम)